

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
राजस्थान तुलसीयन पि. कल्याण 511C जोड़पुय	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 278/2021 GCMS No. 2021/1055

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

8/11/2021

वादी श्री राजस्थान तुलसीयन पुत्र कल्याण  
जाति 511C निवासी जोड़पुय द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2071-2072 ग्राम जोड़पुय पटवार मण्डल के खाता नम्बर 85 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम राजस्थान तुलसीयन पि. कल्याण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।  
राजस्थान सरकार के अधीन तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा जारी राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।  
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 2553 2743 2478 2717 476066P) 39-84-5253-6974  
मतदाता पहचान पत्र 16.11.2012 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।  
अन्य दस्तावेज एकात्मक पत्र

इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)

